अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड शासन सचिववालय जयपुर दुरभाष 0141–2227275,ईमेल – seprd123@gmail.com

कमांक एफ.4(   ) परावि/पीसी/   जयपुर,दिनांक 1368 1/6/16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त

विषयः–राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग मंद में उपलब्ध करवायी जा रही अनुदान राशि के व्यय का विवरण वालपेंटिंग से प्रदर्शित करने बाबत।

महोदय,

विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विकास ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पर्याप्त मात्रा में राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवायी जा रही है पंचायतों को प्राप्त अनुदान राशि के उपयोग में पारदर्शिता बनाये रखने एवं जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्न निर्देशों की कियान्विति सुनिश्चित करावेंः–

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन एवं अटल सेवा केन्द्रों की बाहर की दीवारों पर रंग से विगत 5 वर्षो (2010–11 से 2015–16) में उपलब्ध करवायी गई अनुदान राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जायेः–

वर्ष	राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त अनुदान	केन्द्रीय वित्त आयोग मद में प्राप्त अनुदान	योग

2. ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त अनुदान राशि से करवाये गये कार्यों एवं अन्य मदों पर व्यय का विवरण दीवारों पर वर्षवार निम्न प्रारूप में अंकित किया जाये। अन्य मदों पर व्यय का विवरण जैसे जनता जल योजनाओं पर व्यय, प्रकाश व्यवस्था, बैठक आदि पर व्यय, मानदेय, विधुत बिलों पर व्यय

वर्ष ....में अनुदान राशि से कराये गये कार्यों का विवरण

क0सं0	कार्य/मद का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	राशि का मद TFC/SFC

3. दिनांक 31.3.2016 तक प्राप्त/व्यय राशि का विवरण दिनांक 15.6.2016 तक प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जावे एवं भविष्य में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 1 माह में उक्त विवरण अंकित करना सुनिश्चित किया जावे
4. वाल पेंटिंग पर होने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त होने वाली राशि से किया जा सकता है।
5. इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत/पंचायत समिति में किसी एक पंचायत प्रसार अधिकारी को नॉडल अधिकारी बनाया जाये। अनुदान राशि की जानकारी हेतु विवरण दीवारों पर प्रदर्शित करने बाबत वर्ष 2015–16 तक प्राप्त निधियों से संबंधित समस्त कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावे ।
6. वाल पेंटिंग में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर फ्लेक्स, बोर्ड पर भी विवरण दर्शाया जा सकता है।
7. प्रत्येक ग्राम पंचायत में दीवार लेखन कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र आप द्वारा दिनांक 25.6.2016 तक पंचायती राज को प्रेषित किया जाये।

शुभेच्छु,

(सुदर्शन सेठी) 31.5.2016
प्रमुख शासन सचिव

E:\PA To SE\Letter.doc

P.T.O